

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आभिलेख वाद संख्या—२४५/२०-२१ (१)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
३/९/२०२०	<p>वाद का प्रकार—बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जॉच एंव कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक—२०७४/रा०, दिनांक—१३.०५.२०१६ सहपठित— श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू—अर्जन—सह—विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या—३—खा०म०निति—११९/८५/२३०८/रा०, दिनांक—०३.०९.१९८५ एंव सह—पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या—९१४/रा०, दिनांक—०९.१२.१९९८ में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के कम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा—भृष्टुड़ा, थाना नं०—६०, खाता संख्या—६ प्लॉट संख्या—१५, रकबा—१८ एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी—II के जिल्द संख्या—१ के पृष्ठ संख्या—२६ पर जमाबंदी रैयत दृष्टु भृष्टुड़ा दी० १५ प्लॉट भृष्टुड़ा के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर, बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उघेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती हैं, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू—खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण—पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक—१९/९/२०२० को उपस्थापित करें।</p> <div style="text-align: right; margin-top: -20px;"> १९/९/२०२० <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: left; margin-left: 10px;"> अंचल अधिकारी गोविन्दपुर </div> </div>	

दिनांक
9/9/2020

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

6/9/20
19
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

बाद अभिलेख संख्या-285/20-21(11)/2020 (अन्तर्गत धारा-4(h)BLR Act,1950)

सूचना

वनाम.....
मधीरधु अहरा दी०
 पिता पाक्ष भद्रा
 प्राप्त जन्म वारा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा—**भद्रा** थाना नं०—
 ६० खाता नं०—**६** खेसरा नं०—**१५** भद्रा ११३।

रकबा—**१८९०** से संबंधित आपके नाम से ह० नं०—**१** के पंजी II भाग **१**
 के पृष्ठ **२६** पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम
 से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक—**19/9/2020** को समय—11.00 बजे पूर्वाहन
 में उक्त भूमि का रिटर्न—I भूमि बन्दोवस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत
 जमींदार रसीदों फार्म ड एंव सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व
 रसीदों निर्गत परवाना एंव अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि
 पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना
 पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ
 नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज
 जमाबंदी के संबंध में युक्ति—युक्त निर्गत लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जानें।

१९/९/२०

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

तिथि :-

स्थान :-